न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

मिसल न0– 275 / 2025

अनवान :–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र बेरिसाल सिह जाति राजपूत निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. रेन्जर वन विभाग नोहर तहसील नोहर।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायलान

निर्णय दिनांक : 29/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान क्रश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता सं. 92 के साबिका ख.न. 140 मीन की 16 बीघा भूमि स्थित है जिसके रामसिंह पुत्र सबल जी जाति राजपुत निवासी भावलदेसर तहसील नोहर देह खातेदार काश्तकार थे। रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के साबिका ख.न. 140 मीन की 16 बीघा भूमि गत भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल ख.न. 361 एव हाल ख. न. 380 में परिवर्तित एवं पैमुद कर दी गई।

रामसिंह पुत्र सबल सिंह जी जाति राजपुत निवासी भावलदेसर तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उनके पांच पुत्रगण बेरिसाल सिंह, गोपसिंह, दुर्जनसालसिंह, लिछमणसिंह, श्योदानसिंह हुऐ। तथा जिसमें से बेरिसालसिंह एंव गोपसिंह फौते हो चुके है। एंव बरिसालसिंह के वारिसन सायल एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 हैं एंव गोपसिंह के वारिसान दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 7 ता 8 है एवं उपरोक्त वारिसान उनके विधिक उतराधिकारी है। गत भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमि साबिका ख. न. 140 मीन की 16 बीघा भूमि. हाल खन. 361 एंव हाल, ख.न. 380 में परिवर्तित एवं पैमुद हो चुकी है जबकि वादग्रस्त भूमि सम्बत 2010 से 2013 में रामसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपुत के कब्जा काश्त में रही है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा बिना अधिकार वाद भूमि पायतन दर्ज कर दी गई जबकि भू–प्रबन्धक विभाग को इन्ट्री चेंज करने का कोई अधिकार नही था केवल मात्र को को इन्ट्री रिपिट करने का अधिकार था एवं वाद भूमि वन विभाग मरूस्थल वन रोपण चारागाह विकास हेतु आरक्षित कर दी गई जबकि वादग्रस्त भूमि हमेशा से ही सायल के पूर्वजो के कब्जा काश्त में रही है तथा उनकी फौतदगी के बाद उनके वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है। इसलिए रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता सं. 361 / 321 के ख.न. 61 की 0.2783 हैक्टर भूमि एवं ख.न. की 1.0373 हैक्टर भूमि में सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 11 खातेदार काश्तकार है एवं उपरोक्त वन कृषि भमि में वन विभाग का नाम कलमजन करवापाने के अधिकारी है। इन्ही आश्यों की सायल न्यायलय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वाद भूमि जो सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के सम्बत 2010 से 2013 लेकर आज तक कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा गोचर दर्ज कर देने से अब गैरसायलान सं. 1 व 2 सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को वाद भूमि से जबरिया बेदखल करने पर आमादा है अगर गैरसायलान

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपने उपरोक्त मकसद मे कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए सायल गैरसायलान सं. 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने का मजाज है कि गैरसायलान सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को सम्बत 2010 लेकर आज तक कब्जा काश्त में चली आ रही है भूमि जरिया बेदखल करने से निषिद्ध रहे एवं कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा ना करे एवं मौका यथास्थिति बनाये रखे।

प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन व साम्य न्याय व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त सायल के पक्ष मे है। लिहाजा यह प्रार्थना–पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता सं. 361/321 के ख.न. 61 की 0. 2783 हैक्टर भूमि एवं ख.न. 380 की 1.0373 हैक्टर भूमि से सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को गैरसायलान सं. 1 व 2 जबरिया बेदखल करने से निषिद्ध रहे एवं कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा ना करे एवं मौका यथास्थिति बनाये रखे। अतः प्रार्थना पत्र सायल पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के ख0न0 110/1 की 0.506 हैक्ट, ख0न0 110/2 की 0.506 हैक्ट, ख0न0 111/2 की 1.0120 हैक्ट की यथास्थिति बनाये रखे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वन विभाग हेतु आरक्षित दर्ज है एवं प्रार्थीगण द्वारा वन विभाग/सरकार को पाबन्द करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है लेकिन वन/सरकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/5/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर